पत्र संख्या : 7ब/4700 यो० जल सं०–03/2016 ....54....

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्ण रेखा परियोजना/ मुख्य अभियंता, चाण्डिल/ईचा–गालूडीह;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 14-06-16

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष–4700–मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना, उप शीर्ष–09–स्वर्णरेखा परियोजना (ए॰आई॰बी॰पी॰), विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45– निर्माण कार्य; विपत्र कोड – 49P470080796090545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2016–17** में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2016–17** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4700–मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है

क्र॰	मॉग सं॰/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग, 4700 – मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80–सामान्य,/ 796 – जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना,	09–स्वर्णरेखा परियोजना (ए॰आई॰बी॰पी॰),/05– निर्माण, 45 – निर्माण कार्य; विपत्र कोड – 49P470080796090545	**16.46231**

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ सोलह लाख छियालीस हजार दो सौ एकतीस मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष **2016–17** में बजट उपबंध रू० 6000.00 लाख (रूपये साठ करोड़) मात्र। के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1362 दि॰ 09.05.16 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय **विभागीय पत्रांक 1/PMC/कार्य/404/06 (पार्ट II) 19/10–11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त** प्रशासनिक स्वीकृति एवं सक्षम प्रधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. **AIBP** योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2017 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 14/6

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 54 रॉची, दिनांक :– 14-06-16

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला–खरसॉवा/चाईबासा/घाटशिला** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 14/6

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 54 रॉची, दिनांक :– 14-06-16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 14/6

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

पत्रांक :– ....54........ दिनांक ....14-06-16.... का अनुलग्नक परिशिष्ट–1

माँग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष – 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य

लघु शीर्ष – 796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना

उप शीर्ष –09–स्वर्णरेखा परियोजना (ए॰आई॰बी॰पी॰)

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड – 49P470080796090545

बजट उपबंध वर्ष 2016–17 में रू० 6000.00 लाख (रूपये साठ करोड़) मात्र।

(राशि ₹ लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति का राशि	मार्च 2016 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन: पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन	On-line Allotment Access No.	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बराज प्रमंडल, गालूडीह (JSRIRR074)	चांडिल कॉम्पलेक्स/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स	सुवर्णरेखा परियोजना	19/10–11 प्र॰स्वी॰, दिनांक–14.10. 2010	661374.00	435157.00	3000.00000	3.50363	3003.50363	**37432**	अतिरिक्त आवंटित राशि माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा डबलू॰पी॰(एस॰) सं०–2160/2013 श्री प्रकाश कुमार जयसवाल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्याय निर्णय दिनांक–14.05.2015 एवं तत्संबंधी उद्भूत आवमानावाद सं०–38/2016 में 10 (दस) वादी तथा सदृश्य एक कर्मी श्री रंजीत कुमार दास के जी॰पी॰एफ॰ तथा ग्रुप बीमा में जमा करने हेतु।
2	लघु वितरणी प्र० सं०–7, गालूडीह (JSRIRR087)						0.00000	10.10115	10.10115	**37433**	
3	लघु वितरणी प्र० सं०–9, घाटशिला शिविर गालूडीह (JSRIRR050)						0.00000	2.85753	2.85753	**37435**	
						योग	**3000.00000**	**16.46231**	**3016.46231**		

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ सोलह लाख छियालीस हजार दो सौ एकतीस मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह) 14/6
प्रधान सचिव